A. वकील श्री गिरीराज प्रसाद

फर्द अहकाम 2020/00086

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर

मेवा बनाम रामजीलाल

मुकदमा संख्या /वर्ष : 59 /2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकीलाय द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 27/4/21 को पेश हो।	
		दिनांक 27/4/21 कोविड 19 महामारी में P.O. व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 8/7/21 को पेश हो।	
	8/7/21	पत्रावली पेश नहीं हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 5/8/21 को पेश हो।	
	5/8/21	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/9/21 को पेश हो।	
	14/9/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्रतिवादी सं. 1 को जवाब हेतु अपील में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 11.10.21 को पेश हो।	सरपंच ग्राम पंचायत बीसाऊ पंचायत समिति बस्सी
	4/10/21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत बांसावों में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान सरपंच ग्राम पंचायत बांसावों के द्वारा की गयी। वादी व प्रतिवादी को वाद पत्र पर	सुनीलाल रामजीलाल 1.7.1

2020/00096

न्यायालय

59/20 मेवा बनाम रामजीलाल

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		सुना गया। पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया तो हम पाते है कि प्रतिवादी सं. 2 वाद कारण के समय वाद ग्रस्त भूमि पर उपस्थित नहीं था जिससे यह प्रतीत होता है कि वादी के कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः वादी के वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त विवेचन के पश्चात आदेश 7 नियम 11 CPC के तहत वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न न होने से वादी द्वारा चाही गई डिक्री डिक्री जाना उचित नहीं समझते है अतः वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कार्यालय वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आज दिनांक 4.10.21 को यह निर्णय प्रशासनिक कारणों के कारण अतिरिक्त के रूप का मामले में सार्वजनिक आम में सुनाया गया।